न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2025 **दायर दिनांकः 03.01.2025**

उनवान

1. मृतक– पन्नालाल पुत्र मगनलाल जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर
1/1– जगदीश पुत्र मदनलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. बालमुकन्द पुत्र तारान्द जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर
2. दरयावबाई बेवा ताराचन्द जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर मृतक
3. मदन पुत्र देवा जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति –
वकील वादी – श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री पूरीलाल राठौर
प्रतिवादी क्रम 3 –श्री हुकुमचन्द कुमावत

निर्णय **दिनांक : 11.09.2025**

पत्रावली माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 12.12.2008 की पालना में पुनः पेश हुई। अभिभाशकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से यह है कि मृतक पन्नालाल का जगदीश दत्तक पुत्र है तथा वह प्रतिवादी नम्बर 4 से हटाकर उसको वादी बनाया गया है वो दावा सादर निम्नलिखित पेश है– यह वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 3 के पिता सगे भाई थे और प्रतिवादी न. 1 के पिता ताराचन्द्र प्रतिवादी न. 3 के भाई थे और प्रति[illegible] प्रतिवादी न. 3 के भाई की बेवा है शजरा वाद पत्रानुसार है। इस तरह [illegible] आपस में रिश्तेदार व भाई बन्द है। यह कि फरीकेन में [illegible] आराजी मुण्डला, दोबडी [illegible] दोबडा में है और सब बराबर काबिज है। यह कि ग्राम दोबडी में खाता सं. [illegible] में फरीकेन की 11 बीधा 10 बिस्वा आराजी है व ग्राम दोबडा के खाता सं. 61

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मैं 6 बीघा 14 बिस्वा आंराजी है। ग्राम मूण्डला में खाता सं. 105 की 15 बिस्वा आराजी व खाता सं. 75 ग्राम मुण्डला में 19 बीघा 19 बिस्वा आराजी व ग्राम मुण्डला में खसरा नम्बर 156 की 9 बीघा 9 बिस्वा आराजी है खाता संख्या 101 की 9 बीघा 7 बिस्वा आराजी है व ग्राम दोबडा ने खाता नम्बर 48 की 4 बीघा 14 बिस्वा आराजी है। यह है कि उक्त आराजी में से हर खाते में हर फरीकेन का हक है और प्रत्येक का कब्जा किस भूमि के खाते पर है किस खाते पर नही है। किसी का कम है किसी का ज्यादा है इस तरह से कुल आराजी दोबडी दोबडा व मुण्डला में शजरे के अनुतार वादीगण मृतक पन्ना का दत्तक एक बटा दो हिस्सा और प्रतिवादी न. 1 लगायत 2 का एक बटा चार हिस्सा व प्रतिवादी न. 3 का एक बटा चार हिस्सा शजरे और कानून के अनुसार है कब्जा भी इसी आराजी पर है जिस जिस प्रकार से कब्जा है उस पर किसी फरीकेन को आपत्ति भी नहीं है परन्तु फरीकेन को अपने कब्जे की भूमि की तरक्की के लिये कुआं खुदवाना व लोन आदि लेने में दिक्कत आती है। इस कारण फरीकेन कब्जे के आधार पर ही उसी आराजी को खाते बंधवाना चाहते है। प्रतिवादी नम्बर 4 दतक जगदीश का हिस्सा व मृतक पन्नालाल का हिस्सा दोनों का बराबर कायम किया जावे व प्रतिवादी के खाते में जो जमीन है वह उसी के खाते व कब्जे में रखी जावे व राज्य सरकार के खातों में वादीगण का नाम पर उसकी हिस्से की आराजी कायम की जावे। यह कि प्रतिवादी नम्बर 5 राज–सरकार है उसे प्रतिवादी बनाया गया है। यह कि वादग्रस्त आराजी इस सम्माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है अतः वाद को सुनने का अधिकार इस गाननीय न्यायालय को है। यह कि वाद–पत्र के प्रस्तुत करने का कारण इस प्रकार पैदा हुआ है कि फरीकेन ने जब वादी मृतक पन्नालाल के दतक पुत्र जगदीश को अधिकार मे रखा जाकर उसके खातें लिख कर दर्ज की जावे क्योंकि प्रतिवादीगण आपस मे जमीन का बंटवारा नहीं करवाना चाहते है इस कारण वाद का कारण दिनांक 01.09.1997 को पैदा हुआ। यह कि वाद उचित कोर्ट फीस पर सादर पेश है। यह कि वाद पेश करने का निवेदन है कि:–

(1) यह कि वाद–पत्र के पेरा नम्बर 3 में वर्णित आराजी जिस जिस प्रकार से जिस फरीकेन के कब्जे में है उसी के आधार पर मौके पर पैमाइश करवाई जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

व मृतक पन्नालाल की जमीन उसके कायम मुकामान जगदीश के हक में बराबर दर्ज की जाये और खातेदार जगदीश की जमीन भी उसके दर्ज की जावे।
(2) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय ठीक समझे प्रदान फरमायी जाये।

2. प्रकरण माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 12.12.2008 की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि वाद पत्र का चरण क्रमांक 1 सही व स्वीकार है। यह कि वाद पत्र का चरण क्रमांक 2 के अनुसार मगनलाल की आराजी ग्राम मूण्डला, दोबड़ी व दोबड़ा में वर्णित होना और सब लोग लगभग बराबर बराबर काबिज होना गलत व अस्वीकार है। यह कि वाद पत्र के चरण क्रमांक 3 का विवरण मुताबिक राजस्व रेकार्ड के आधार पर दर्ज है। यह कि वाद पत्र के चरण में वर्णन के अनुसार उक्त आराजी मैं से हर खाते में हर फरीकेन का हक है और प्रत्येक का कब्जा किसी भूमि के खाते पर है किसी खाते पर नही है किसी का कम है किसी का ज्यादा है इस तरह से कुल आराजी दौबड़ी व मूण्डला में शजरा के अनुसार वादी का एक बटा दो हिस्सा और प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का एक बटा चार हिस्सा व प्रतिवादी नम्बर 3 का एक बटा चार हिस्सा शजरा और कानून के अनुसार है। कब्जा भी इसी आराजी पर है। जिस जिस प्रकार से कब्जा है इस पर किसी फरीकेन को आपत्ति भी नहीं है परन्तु फरीकैन को अपने कब्जे की भूमि की तरक्की के लिए कुआ खुदवाना व लौन आदि लेने मे दिक्कत आती है। इस प्रकार फरीकैन कब्जे के आधार पर ही वे उसी आराजी को खाते बंधवाना चाहते है प्रतिवादी संख्या 5 के खाते में जो जमीन है वह उसी के कब्जे व खाते में रखी जाये आदि समस्त विवरण गलत व अस्वीकार है सही स्थिति का विवरण विशेष आपत्तियों में दर्ज है। यह कि वाद पत्र का चरण क्रमांक 5 प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 से सम्बन्धित नहीं है। यह कि वाद पत्र का चरण क्रमांक 6 कानूनी है। अतिरिक्त आपत्तियाँ– यह कि वादीगण राजस्व रेकार्ड की अलग अलग खाते में अपने अपने हक व हिस्से के अनुसार बटवारा न चाहकर मनमाने रूप से काबिज होना चाहते है। जबकि कानूनन प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

खाते में उसके हक व हिस्से के अनुसार बंटवारा होना आवश्यक है। अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की कुपा करे, अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान करने की कृपा करें।

3. प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि वाद पत्र का चरण सं. 1 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र का चरण सं. 2 सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र का चरण सं. 3 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण सं. 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण सं. 5 कानूनी है। वाद पत्र का चरण सं. 6 कानूनी है। वाद पत्र का चरण सं. 7 उचित है, बंटवारा किया जाना ठीक है। वाद पत्र का चरण सं. 8 कानूनी है। वाद पत्र का चरण सं. 9 कब्जे के आधार पर बंटवारा किये जाने की प्रार्थना स्वीकार है। विशेष कथन – यह कि वादीगण द्वारा वाद पत्र में चाही गई सहायता प्रार्थना के आधार पर प्रतिवादीगण एवं वादीगण का अपने कब्जे के अनुसार आराजी का बंटवारा किया जाना उचित है। मृतक पन्नालाल का हिस्सा जगदीश के खाते में दर्ज किये जाने पर प्रतिवादी सं. 3 को एतराज नहीं है। आराजी का बंटवारा अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी प्रत्येक आराजी पर कब्जे के अनुसार किया जाना उचित है। मृतक पन्नालाल का हिस्सा जगदीश के खातेदार में दर्ज किये जाने पर प्रतिवादी सं. 3 को एतराज नहीं है। आराजी का बंटवारा अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी प्रत्येक खाते में कब्जे अनुसार किया जाना उचित है। बंटवारा होने से वादी एवं प्रतिवादी को अपने हिस्से में विकास कार्य करने में सुविधा होगी। मृतक पन्नालाल का कायम मुकाम वादी जगदीश है। वह उसका दत्तक पुत्र होने से पन्नालाल का हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। जवाब पेश कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री किया जाना स्वीकार है।

4. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में जगदीश दत्तक पुत्र पन्नालाल PW-1 के बयान कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम मुण्डला की जमाबंदी सं. 2052–55 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, ग्राम दोबड़ा की जमाबंदी सं. 2053–56 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 2, ग्राम मुण्डला पोता सं. 156 की जमाबंदी सं. 2052–55 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 3, ग्राम मुण्डला की जमाबंदी सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2052–55 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4, ग्राम दोबडी की जमाबंदी सं. 2053–56 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 5, ग्राम दोबडा की जमाबंदी सं. 2053–56 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 6, ग्राम मुण्डला की जमाबंदी सं. 2052–55 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 7, रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 12.01.1998 की छायाप्रति, ग्राम दोबडी खाता सं. 14 की जमाबंदी सं. 2057–60, ग्राम मुण्डला की खाता सं. 80 खाता डायरी की छायाप्रति, ग्राम दोबडा की खाता सं. 49 खाता डायरी की छायाप्रति पेश की।

5. प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में मदनलाल पि. देवा DW-1 के बयान कराये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम दोबडा का खाता सं. 47 जमाबंदी सं. 2073–76, ग्राम दोबडी का खाता सं. 7 व 25 जमाबंदी सं. 2073–76, ग्राम मुण्डला की सं. 2078 की खसरा गिरदावरी, ग्राम मुण्डला का खाता सं. 85 व 208 जमाबंदी सं. 2072–75, पेश की।

6. अभिभाषक वादी व प्रतिवादी सं. 3 तथा अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने आपसी सहमति से सीधी बहस करते हुए कथन किया कि ग्राम मुण्डला हाल तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी हाल खाता सं. 172 किता 5 रकबा 1.9222 है., खाता सं. 208 किता 8 रकबा 3.2248 है., खाता सं. 85 किता 4 रकबा 4.5906 है., ग्राम दोबडी खाता सं. 25 किता 5 रकबा 1.9855 है. खाता सं. 7 किता 2 रकबा 0.4047 है., खाता सं. 8 किता 1 रकबा 0.0253 है., ग्राम दोबडा खाता सं. 47 किता 5 रकबा 1.3151 है. एवं खाता सं. 125 किता 2 रकबा 0.2908 है. वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक आराजी है जो मगनलाल पाटीदार से उनके दोनो पुत्रो पन्नालाल एवं देवीलाल के खाते दर्ज हुई थी। पन्नालाल के फोत होने पर वादी जगदीश के खाते और देवीलाल के फोत होने पर उनके दोनो पुत्र ताराचन्द व मदनलाल के खाते दर्ज हुई थी। वादग्रस्त आराजी को लेकर वादीगण द्वारा एक वाद सं. 149/2003 उनवान पन्नालाल बनाम बालमुकन्द इस न्यायालय में पेश किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 08.06.2006 व 19.06.2006 से विधिक प्रावधानो के विरूद्ध निर्णित किया गया था जिसके विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा माननीय न्यायालय आर.ए.ए.कोटा के समक्ष अपील सं. 250/2008 व 251/2008 पेश की गई थी जिसमें माननीय आर.ए.ए.कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2008

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के उक्त दोनो निर्णयों को खारीज कर पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया था लेकिन इस दौरान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2006 की पालना कर ग्राम मुण्डला में नामा सं. 699 दिनांक 24.11.2006, ग्राम दोबडी में नामा.सं. 130 दिनांक 11.10.2006 तथा ग्राम दोबडा में नामा.सं. 364 दिनांक 11.10.2006 दर्ज किया जाकर खाता विभाजन कर प्रथक प्रथक खाते दर्ज कर दिये गये। अतः न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2006 एवं 19.08.2006 के अपास्त होने से ग्राम मुण्डला के नामा.सं. 699, ग्राम दोबडी के नामा.सं. 130 व ग्राम दोबडा के नामा.सं. 364 वर्तमान में अवैध व प्रभावशून्य हो चुके है और वादग्रस्त आराजी अपनी मूल स्थिति में स्वतः ही दर्ज होना मानी जावेगी।

7. अभिभाषकगण उभयपक्ष द्वारा अपनी बहस में एकमत होकर आगे तर्क किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य दिनांक 26.06.2025 को वादग्रस्त आराजी के खाता विभाजन हेतु राजीनामा हो चुका है और राजीनामे को इस न्यायालय द्वारा उपभयपक्ष की उपस्थिति में तस्दीक भी किया जा चुका है। अतः वादीगण की वादग्रस्त पैतृक आराजी का राजीनामा दिनांक 26.06.2025 अनुसार खाता विभाजन के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

8 हमने उपस्थित विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर गौर किया। पेश राजीनामा दिनांक 26.06.2025, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2006, माननीय आर.ए.ए.कोटा के निर्णय दिनांक 12.12.2008, वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी सं. 2052—55 प्रदर्श 1 से 6, जमाबंदी सं. 2060—63 एवं हाल जमाबंदी सं. 2072—75 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मूलतः पन्नालाल पुत्र मगनलाल एवं देवीलाल पि[illegible]ल दोनो भाईयों की सहखातेदारी में दर्ज थी। देवी[illegible] से विरासत [illegible]नी पुत्री ताराचन्द व मदनलाल को सहखातेदारी में [illegible] हुई [illegible] से विरासत में पुत्र बालमुकन्द एवं बेवा दरयावबाई को तथा पन्नालाल से दत्तक पुत्र जगदीश को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

विरासत में प्राप्त हुई है। यह भी स्पष्ट है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा द्वारा निर्णय दिनांक 08.06.2006 व 19.08.2006 को माननीय आर.ए.ए. कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 12.12.2008 से खारीज कर पुनः सुनवाई हेतु इस न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया है। अतः न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.06.2006 एवं 19.08.2006 के अपास्त होने से ग्राम मुण्डला के नामा.सं. 699, ग्राम दोबडी के नामा.सं. 130 व ग्राम दोबडा के नामा.सं. 364 वर्तमान में अवैध व प्रभावशून्य हो चुके है।

9. वादी एवं प्रतिादीगण द्वारा पेश राजीनामा दिनांक 26.06.2025 के अनुसार उभयपक्ष वादग्रस्त पैतृक आराजी का खाता विभाजन कराने के लिए सहमत है। उभयपक्ष इस तथ्य पर भी सहमत है कि प्रतिवादी सं. 2 दरयावबाई बेवा ताराचन्द फोत हो चुकी है और दरयावबाई का एकमात्र वारीसान प्रतिवादी सं. 1 बालमुकन्द है। अतः राजीनामा दिनांक 26.06.2025 के अनुसार खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित जाहिर होता है। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा पेश राजीनामा अनुसार ग्रांम मुण्डला तहसील रायपुर के खाता सं. 172 (मूल ख.नं. 620) के ख.नं. 1006/620 रकबा 0.6323 है. पर कब्जे काश्त के आधार पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द के स्थान पर मदनलाल पि. देवा को, खाता सं. 208 के ख.नं. 928/620 रकबा 0.6323 है. पर मदनलाल पि. देवा के स्थान पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द को खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित होगा। इसी प्रकार ग्राम मुण्डला की बालमुकन्द पि. ताराचन्द की आराजी खाता सं. 172 के ख.नं. 1060/621 रकबा 0.1265 है. में से कब्जे काश्त के आधार पर 0.0507 है. दक्षिण दिशा पर जगदीश दत्तक पुत्र पन्नालाल को, ग्राम दोबडी तहसील रायपुर के खाता सं. 25 के ख.नं. 10 रकबा 0.5059 है. व ख.नं. 11 रकबा 0.6829 है. किता 2 कुल रकबा 1.1888 है. में सहखातेदार मदनलाल पि. देवा हि. 1/2 के स्थान पर कब्जे काश्त के आधार पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द को तथा ख.नं. 114 रकबा 0.2023 है. में [illegible] बालमुकन्द पि. ताराचन्द हि. 1/2 के स्थान पर मदनलाल [illegible] खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित है। खाता सं. 25 के शेष [illegible] /115 रकबा 0.0253 है. एवं ख.नं. 44 रकबा 0.561 है. बालमुकन्द व मदनलाल की सहखातेदारी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

यथावत रखा जावे। ग्राम दोबडा, दोबडी व मुण्डला तहसील रायपुर की वादीगण एवं प्रतिवादीगण की अन्य कृषि आराजियात पक्षकारो के खाते यथावत रखी जाने का राजीनामें में अंकन किया गया है।

10. रिकार्डेड सहखातेदार कृषकों के मध्य कृषि आराजी के खाता विभाजन के प्रावधान धारा 53(2) आरटीएक्ट में उपलब्ध है। प्रत्येक सहखातेदार को भूमि सुधार एवं अन्य कार्यो हेतु शामलाती खाते में अपने हिस्से की कृषि जोत का खाता विभाजन कराने का हक व अधिकार है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि शामलाती आराजी के प्रत्येक सहखातेदार को धारा 53(2) आरटीएक्ट के अधीन अपने हिस्ससे की आराजी का खाता विभाजन कराकर पृथक से खाते दर्ज कराने का अधिकार है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत सहखातेदारी की आराजी के विभाजन के लिए धारा 53(2) का अवलोकन जरूरी है जो निम्न प्रकार है– .

A division of holding shall be effected in the following manner-

53 (2) (ii)- by the decree or order of competent court passed in a suit by one or more the co-tenants for the purpose of the deviding the holding and distrebuiting the rent hereof over the several portions into which it is divided.

11. धारा 53(2) आरटीएक्ट के अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को शामलाती खाते में अपने हिस्से की कृषि जोत का भूमि सुधार एवं अन्य विकास कार्यो हेतु खाता विभाजन कराने का हक व अधिकार है। धारा 53(2)(ii) RTA के अधीन न्यायालय के आदेश/डिक्री से खाता/कृषि जोत के विभाजन की प्रक्रिया राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 व 21 में दी गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

12. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा राजीनामा दिनांक 26.06.2025 के आधार पर ग्राम दोबडा, दोबडी व मुण्डला तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 188 आरटीएक्ट न्यायाहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण तथा राजीनामा दिनांक 26.06.2025 के आधार पर ग्राम दोबडा, दोबडी व मुण्डला तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 188 आरटीएक्ट न्यायाहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा दिनांक 26.06.2025 के अनुसारग्राम मुण्डला तहसील रायपुर के खाता सं. 172 (मूल ख.नं. 620) के ख.नं. 1006/620 रकबा 0.6323 है. पर कब्जे काश्त के आधार पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द के स्थान पर मदनलाल पि. देवा को, खाता सं. 208 के ख.नं. 928/620 रकबा 0.6323 है. पर मदनलाल पि. देवा के स्थान पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी प्रकार ग्राम मुण्डला की बालमुकन्द पि. ताराचन्द की आराजी खाता सं. 172 के ख.नं. 1060/621 रकबा 0.1265 है. में से कब्जे काश्त के आधार पर 0.0507 है. दक्षिण दिशा पर जगदीश दत्तक पुत्र पन्नालाल को, ग्राम दोबडी तहसील रायपुर के खाता सं. 25 के ख.नं. 10 रकबा 0.5059 है. व ख.नं. 11 रकबा 0.6829 है. किता 2 कुल रकबा 1.1888 है. में सहखातेदार मदनलाल पि. देवा हि. 1/2 के स्थान पर कब्जे काश्त के आधार पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द को तथा ख.नं. 114 रकबा 0.2023 है. में सहखातेदार बालमुकन्द पि. ताराचन्द हि. 1/2 के स्थान पर मदनलाल पि. देवा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। खाता सं. 25 के शेष ख.नं. 253/115 रकबा 0.0253 है. एवं ख.नं. 44 रकबा 0.561 है. बालमुकन्द व मदनलाल की सहखातेदारी में यथावत रखा जावे। तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 02/2025 दायर दिनांकः 03.01.2025

उनवान

1. मृतक– पन्नालाल पुत्र मगनलाल जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर

1/1– जगदीश पुत्र मदनलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर

– वादी

बनाम

1. बालमुकन्द पुत्र तारान्द जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर
2. दरयावबाई बेवा ताराचन्द जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर मृतक
3. मदन पुत्र देवा जाति पाटीदार नि. दोबडी तहसील रायपुर
4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 188 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति –
वकील वादी – श्री हुकुमचन्द कुमावत
वकील प्रतिवादी सं. 1 – श्री पूरीलाल राठौर
प्रतिवादी कम 3 –श्री हुकुमचन्द कुमावत

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X.............. रूबरू.............X...........................
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

राजीनामा दिनांक 26.06.2025 के आधार पर ग्राम दोबडा, दोबडी व मुण्डला तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 54, 88, 188 आरटींएक्ट न्यायाहित में आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। राजीनामा दि़नांक 26.06.2025 के अनुसारग्राम मुण्डला तहसील रायपुर के खाता सं. 172 (मूल ख.नं. 620) के ख.नं. 1[illegible]0 रकबा 0.6323 है. पर कब्जे काश्त के आधार पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द के स्थान पर मदनलाल पि. देवा को, खाता सं. 208 के ख.नं. 928/620 रकबा 0.6323 है. पर मदनलाल पि. देवा के स्थान पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द को खातेदार कृषक घोषित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जाता है। इसी प्रकार ग्राम मुण्डला की बालमुकन्द पि. ताराचन्द की आराजी खाता सं. 172 के ख.नं. 1060/621 रकबा 0.1265 है. में से कब्जे काश्त के आधार पर 0.0507 है. दक्षिण दिशा पर जगदीश दत्तक पुत्र पन्नालाल को, ग्राम दोबडी तहसील रायपुर के खाता सं. 25 के ख.नं. 10 रकबा 0.5059 है. व ख.नं. 11 रकबा 0.6829 है. किता 2 कुल रकबा 1.1888 है. में सहखातेदार मदनलाल पि. देवा हि. 1/2 के स्थान पर कब्जे काश्त के आधार पर बालमुकन्द पि. ताराचन्द को तथा ख.नं. 114 रकबा 0.2023 है. में सहखातेदार बालमुकन्द पि. ताराचन्द हि. 1/2 के स्थान पर मदनलाल पि. देवा को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। खाता सं. 25 के शेष ख.नं. 253/115 रकबा 0.0253 है. एवं ख.नं. 44 रकबा 0.561 है. बालमुकन्द व मदनलाल की सहखातेदारी में यथावत रखा जावे। तहसीलदार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करना सुनिश्चित करे।

11/9/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

निज .....X..... मुवालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 11.09.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प दरज सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.11.04 11:36:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner